



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1940 (श10)

(सं0 पटना 769) पटना, शुक्रवार, 10 अगस्त 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2018

एस० ओ० 224, दिनांक 10 अगस्त 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित व्यापारावर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथा उल्लिखित विशिष्ट प्रक्रिया का अनुशरण करेंगे, के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं।

2. उक्त व्यक्ति, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावी त्रैमास के दौरान, माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकेंगे, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे दाखिल किये जाने हैं।	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे दाखिल करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितम्बर, 2018	31 अक्टूबर, 2018
2.	अक्टूबर-दिसम्बर, 2018	31 जनवरी, 2019
3.	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019

3. जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 के मासों के लिए अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समयावधि को पश्चातवर्ती रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-2352)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

10 अगस्त 2018

एस० ओ० 224, दिनांक 10 अगस्त 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-2352)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 10th August 2018

S.O. 224 Dated 10th August 2018— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2018	31 st October, 2018
2	October - December, 2018	31 st January, 2019
3	January - March, 2019	30 th April, 2019

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2018 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall come into force with effect from 10th August, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-3) -2352)]

By the order of Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 769-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>